

7

पुणे,

श्री. प्रदीप गांधी,
सदस्य, राज्य सरकार,
उत्तर प्रदेश शासन।

तेषां,

राज्य,
राज्यीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
कक्षा क्र. 2 मंगलम केंद्र,
प्रति शिक्षा विभाग नई दिल्ली।

दिनांक 171 अनुसूची

तारीख: दिनांक: 10 मार्च, 1990

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से राज्यीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रमाण परीक्षा का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह पत्र पाने का निदेश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से राज्यीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रमाण परीक्षा का आयोजन करने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 111 शिक्षा विभाग की प्रतीकृत सलाहों का समुचित ध्यान देकर प्रमाण परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा।
- 112 शिक्षा विभाग की प्रत्येक सलाह में उचित निदेशक द्वारा वास्तविक एक संकेत होगा।
- 113 शिक्षा विभाग में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के पदों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवर्धित शिक्षा विभागों में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति मुक्त से अधिक मुक्त नहीं किया जायेगा।
- 114 संस्था द्वारा राज्य सरकार से मिली अनुदान की राशि नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण परीक्षा से संबंधित शिक्षा परिषद के माध्यम से प्राप्त है तो शिक्षा विभाग की सहायता के माध्यम से शिक्षा परिषद के लिए फंड प्रदान करने का उद्देश्य है। यदि शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण परीक्षा के लिए उचित परीक्षा परिसरों के तब तक प्राप्त होने की राशि से परिसर के माध्यम से तथा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो जायेगी।
- 115 संस्था के लिए स्वयंसेवक कर्मचारियों को राजस्व सहायता अनुदान से संबंधित कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले कर्मचारियों के समान मान्यता प्राप्त करने नहीं किया जायेगा।
- 116 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि आदेशों और उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि करने का आदेश नहीं दिया जायेगा।

(Handwritten Signature)
1710 Chaudhary
SCHOOL



175 राज्य सरकार द्वारा तम्र समूह पर जो भी अंकुश निर्धारित किया जाये, संस्था उनका पालन करेगी।

181 विद्यालय का रिजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

191 उक्त अंश में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना शीट परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रमाणपत्र पर भी लोगी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि विद्यालय में कार्यरत कर्मक/शिक्षक/शिक्षिकाएँ प्रशिक्षित एवं अर्ह हों।

3- उक्त प्रमाणपत्रों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय प्रमाणपत्रों का उक्त संस्था द्वारा उक्त प्रमाणपत्रों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का युक्त या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा।


भवदीय,

उपरोक्त कार्यवाही संतुष्ट सचिव।


पुं० सं० 111/15-7-1990 तद्विनोक्त

प्रतिभाषित निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आग्रहों कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- उपायुक्त, संतुष्ट शिक्षा निदेशक मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5- प्रमुख, मेरठ पब्लिक स्कूल स्कूल 233 वेस्ट इंडरोड मेरठ एवं मेरठ।


 (T C Shastri)
 Manager
 MEENJ... SCHOOL



आ.स. मे.

 उपरोक्त कार्यवाही संतुष्ट सचिव।